तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	न... अह... तार्मी...
3/1/17	वकील वादीगण उपस्थित। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
37/17	दावा	29.06.17	31.01.09

मथुरा पुत्र चतुरा आयु 62 साल जाति मीना निवासी किराड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र भोला
2. रामराज ।
3. मुनीम ।
4. मुकेश । पिसरान सीताराम
5. सिरदास ।
6. प्रहलादी पत्नि सीताराम
7. फूलबाई पत्नि मुनीम
8. काड़ी पत्नि सिरदास
9. मोहरबाई पत्नि रामराज
10. प्रकाशी पत्नि मुकेश

सभी जाति मीना निवासी किराड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री राजेन्द्र सोनी वकील वादी।
श्री कमरपाल मीना वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 278/226 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम किराड़ी तहसील सपोटरा मे स्थित है जो कि वादी की सेपरेट खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिससे किसी दीगर व्यक्ति का इस आराजी से कोई तालोकात नही है। दिनांक 10.6.2017 को वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर साफ सफाई करने गया तो प्रतिवादीगण सभी हाथों में लाठी गंडासी लेकर मौके पर आ गये आते ही सभी ने वादी को एलानिया धमकी देकर कहा कि हम तुझे उक्त भूमि पर फसल काश्त नही करने देगें। वादी ने प्रतिवाादीगण को काफी समझाया लेकिन प्रतिवादीगण ने एक नही सुनी और मोके पर ही आमादा फिसाद हो गये। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण की ओर जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी का विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है ना ही कभी वादी का कब्जा काश्त रहा है। वादी राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण को नाजायज परेशान करता रहता है जबकि वादी का बिना कब्जे के स्थायी निषेधाज्ञा का वाद चल नही सकता है खारिज किये जाने योग्य है। वादी चतुर, चालाक एवं राजनैतिक व्यक्ति है जो आये दिन प्रतिवादीगण से द्वेषतावश परेशान करता रहता है। इसलिए दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर कित्ता तीन तनकीयात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी मुथरालाल पीडब्ल्यू 1 का शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादी द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम किराड़ी सम्बत् 2070–73 पेश की है। प्रतिवादीगण ने ना तो कोई मौखिक साक्ष्य और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है।

Scanned by CamScanner

2017

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा, जवाबदावा, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनुसार तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार है:–

1. **आया वाके ग्राम किराड़ी तहसील सपोटरा की विवादित आराजी वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी वादी की सेपरेट खातेदारी मे दर्ज है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
2. **आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है ?** इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर है। जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजी वादी की सेपरेट खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि मे प्रतिवादीगण का कोई भी हिस्सा दर्ज नही है, इसलिए प्रतिवादीगण को वादी की उक्त आराजी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा मे वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नही होने के समर्थन मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है जिससे यह साबित हो कि वादी का विवादित आराज़ी पर कब्जा नही हो। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
3. **आया विवादित आराजी मे वादी का कब्जा नही है बिना कब्जे के दावा वादी चलने योग्य नही है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने कोई लिखित साक्ष्य या स्वतंत्र गवाह पेश नही किया है, ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वादी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नही है। वादी विवादित आराजी का सैपरेट खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
4. **अनुतोषः–** उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी के सेपरेट खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिसमे प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नही है। वादी तनकी नं0 1 व 2 को अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है जबकि तनकी नं0 3 को प्रतिवादीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। इसलिए वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम किराड़ी तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 278/226 रकबा 05 बीघा के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner